



कार्यालय प्रमुख अभियंता पंजीयन लोक निर्माण विभाग
(केंद्रीयकृत ठेकेदार पंजीयन प्रकोष्ठ)

कार्यालय प्रमुख अभियंता निर्माण भवन प्लॉट नंबर 27 & 28 , अरेरा हिल्स, भोपाल

ठेकेदार पंजीयन प्रमाण-पत्र



आवेदक का विवरण	
भागीदारी फर्म का नाम	TECHNO ALLIANCE INFRA CONTRACTS LLP
भागीदारी फर्म का नाम	NA
स्थाई पता	SOLACE 2, 1301, SKYE LUXURIA, NIPANIA, INDORE, DIST-INDORE, MADHYA PRADESH, 452010

पंजीयन क्रमांक	संवर्ग	वैधता	
		पंजीयन दिनांक	समाप्ति दिनांक
PWD210049302	CIVIL	25/01/2022	24/01/2032
	ELEC / MECH	25/01/2022	24/01/2032

स.क्र.	भागीदार का नाम	पैन नंबर
1	JATIN MANDHAN	BQVPM0102K
2	VISHWAS MANDHAN	BJRPM2258K
3	GOPI MANDHAN	ACYPM1409M

विद्युत लायसेंस का विवरण				भागीदारी फर्म का टिन नंबर/जी.एस.टी नंबर	भागीदारी फर्म का पैन नंबर
लायसेंस नंबर	श्रेणी	पंजीयन दिनांक	समाप्ति दिनांक		
23/7523A	A	12/08/2021	31/12/2023	23AAPFT5301E1ZG	AAPFT5301E

कृपया नियम और शर्तों हेतु इस प्रमाण पत्र के पीछे देखें।
ठेकेदार/ फर्म/ कंपनी आईडी क्रमांक-PWD210049302

मुख्य अभियंता (पंजीयन)

Signature valid
Digitally Signed By Deepak Asni (Personal)
Date : 27-Jan-2022 13:10:03 IST





**कार्यालय प्रमुख अभियंता पंजीयन लोक निर्माण विभाग
(केंद्रीयकृत ठेकेदार पंजीयन प्रकोष्ठ)**

कार्यालय प्रमुख अभियंता निर्माण भवन प्लॉट नंबर 27 & 28 , अरेरा हिल्स, भोपाल

नियम एवं शर्तें

1. यह पंजीयन मध्यप्रदेश शासन के समस्त निर्माण विभागों, अर्द्ध-शासकीय संस्थानों, निगमों मंडलों एवं उपक्रमों के लिए मान्य होगा।
2. पंजीयन के नवीनीकरण, निलम्बन, निचली श्रेणी में अवनत, रद्द करना एवं काली सूची में नाम रखने की कार्यवाई मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के प्रचलित आदेशों के अनुसार की जाएगी।
3. फर्म के नाम से पंजीयन होने की दशा में फर्म के भागीदारों के परिवर्तन की जानकारी तत्काल पंजीयन अधिकारी को दी जाना एवं सिटीजान एडिट के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट की जाना आवश्यक होगी ।
4. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर पंजीयन हेतु जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।
5. पंजीयन के संबंध में किये जाने वाले पत्राचार में पंजीयन का आई.डी. अनिवार्य रूप से उल्लेखित करें।
6. सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्यों हेतु पंजीयन होने की दशा में विद्युत कार्यों का कार्यक्षेत्र, सीमाएं एवं संपादन म.प्र. अनुज्ञापन मंडल विनियम 1960 के अंतर्गत जारी विद्युत लाइसेंस (ए-श्रेणी/बी-श्रेणी) के अध्याधीन होगा।
7. पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज तथा जानकारीयां त्रुटिपूर्ण, असत्य अथवा कटरचित पाए जाने पर पंजीयन निरस्त किया जा सकेगा एवं ठेकेदार के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाई की जावेगी।
2. पंजीयन के नवीनीकरण, निलम्बन, निचली श्रेणी में अवनत, रद्द करना एवं काली सूची में नाम रखने की कार्यवाई मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के प्रचलित आदेशों के अनुसार की जाएगी।
3. फर्म के नाम से पंजीयन होने की दशा में फर्म के भागीदारों के परिवर्तन की जानकारी तत्काल पंजीयन अधिकारी को दी जाना एवं सिटीजान एडिट के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट की जाना आवश्यक होगी ।
4. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर पंजीयन हेतु जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।
5. पंजीयन के संबंध में किये जाने वाले पत्राचार में पंजीयन का आई.डी. अनिवार्य रूप से उल्लेखित करें।
6. सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्यों हेतु पंजीयन होने की दशा में विद्युत कार्यों का कार्यक्षेत्र, सीमाएं एवं संपादन म.प्र. अनुज्ञापन मंडल विनियम 1960 के अंतर्गत जारी विद्युत लाइसेंस (ए-श्रेणी/बी-श्रेणी) के अध्याधीन होगा।
7. पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज तथा जानकारीयां त्रुटिपूर्ण, असत्य अथवा कटरचित पाए जाने पर पंजीयन निरस्त किया जा सकेगा एवं ठेकेदार के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाई की जावेगी।